

विज्ञप्ति

सत्र 2016-17 के लिए राजकीय / निजी / तकनीकी महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नूतन एवं नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि पूर्व में पत्रांक क्रमांक एफ 23 (45) लेखा / आकाशि / छात्रवृत्ति / 2016-17 / 1232 दिनांक 29.7.2016 से आमंत्रित कर दिनांक 19.8.2016 / 30.9.2016 रखी गयी थी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अंतिम तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क्र सं	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	अध्ययनरत महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा संबंधित जिला नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र मय सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	'अ' नूतन आवेदन पत्र (स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी)	30.9.2016	5.10.2016 सायं 5.00 बजे तक
2	'ब' नवीनीकरण आवेदन पत्र (स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्न/उत्तराह्न में अध्ययनरत विद्यार्थी)	30.9.2016	14.10.2016 सायं 5.00 बजे तक

उपरोक्त योजना से संबंधित नियम, शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फार्म विभाग की वेबसाइट <http://dce.rajasthan.gov.in/scholarship.aspx> पर उपलब्ध है। संबंधित छात्र-छात्रा / महाविद्यालय / अभिभावक आवेदन फार्म विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। नवीनीकरण छात्रवृत्ति फार्म उन्ही विद्यार्थियों के अग्रेषित किये जावे जिन्हें गत वर्ष नूतन छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो। गत परीक्षा निर्धारित 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो, तथा वर्तमान में नियमित अध्ययनरत हो। जिन छात्र-छात्राओं द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है वे पुनः आवेदन नहीं करें।


(अनूप खीची)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (45) लेखा / आकाशि / छात्रवृत्ति / 2016-17 / 1301-1309 दिनांक 22/9/2016
प्रतिलिपि

- 1 निदेशक जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण राजस्थान में प्रकाशन कर भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।
- 2 निदेशक दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 3 निदेशक आकाश वाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर को भेजकर कर लेख है कि अपने क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों को सूचित करावे।
- 7 राजस्थान राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय / निजी / तकनीकी विश्वविद्यालय एवं उनके संघटक महाविद्यालय।
- 8 समस्त प्राचार्य राजकीय / निजी / तकनीकी महाविद्यालय राजस्थान।
- 9 प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।


(माधोसिंह चारण)
मुख्य लेखाधिकारी

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक एफ 23 (10) लेखा /आकाशि/दे.छा.स्कू.वि.प्रो.रा.यो./2016-17 /1316 दिनांक 22/9/2016

विज्ञप्ति

सत्र 2016-17 के लिए राजस्थान मूल की पिछडे वर्ग की राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों /राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत आवेदन पत्र विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23 (10) लेखा /आकाशि/ दे.छा.स्कू.वि.प्रो.रा.यो./2016-17/1221 दिनांक 29.7.2016 से आमंत्रित कर दिनांक 19.8.2016 /09.9.2016 रखी गयी थी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अंतिम तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क्र सं	योजना का नाम	छात्रा द्वारा महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय में आवेदन पत्र मय सॉफ्ट कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि
1	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण हेतु आवेदन पत्र (स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राएँ)	30.9.2016	5.10.2016 सायं 5.00 बजे तक
2	देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र (स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्न/उत्तराह्न में अध्ययनरत छात्राएँ)	30.9.2016	14.10.2016 सायं 5.00 बजे तक


उपरोक्त योजना से संबंधित नियम, शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फार्म विभाग की वेबसाइट <http://dce.rajasthan.gov.in/scholarship.aspx> पर उपलब्ध है। संबंधित छात्रा /महाविद्यालय /अभिभावक आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्राओं द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है वे पुनः आवेदन नहीं करें।


 (अनूप खीची)
 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
 एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
 उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा /आकाशि/दे.छा.स्कू.वि.प्रो.रा.यो./2016-17 / 1311-1318 दिनांक 22/9/2016

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को आठ प्रतियो सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण राजस्थान में प्रकाशन कर भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करें।
- 2 निदेशक दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 3 निदेशक आकाश वाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर को भेजकर कर लेख है कि अपने क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों को सूचित करावे।
- 7 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
- 8 प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।


 (माधोसिंह चारण)
 मुख्य लेखाधिकारी

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक एफ 23 (15) लेखा / आकाशि / मे.छा.स्कू.यो / 2016-17 / 1319 दिनांक 22/9/2016

विज्ञप्ति

सत्र 2016-17 के लिए राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12 तक अध्ययन पूर्ण कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 12 वीं (सीनियर सैकण्डरी) परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत मेधावी छात्राओं से स्कूटी वितरण हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23 (15) लेखा / आकाशि / 2016-17 / 1211 दिनांक 29.7.2016 को जारी कर अंतिम तिथि 19.8.2016 रखी गयी थी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अंतिम तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क्र सं	योजना का नाम	छात्रा द्वारा महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय में आवेदन पत्र मय सॉफ्ट कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि
1	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015	30.9.2016	5.10.2016 सायं 5.00 बजे तक


उपरोक्त योजना से संबंधित नियम, शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फार्म विभाग की वेबसाइट <http://dce.rajasthan.gov.in/scholarship.aspx> पर उपलब्ध है। संबंधित छात्रा / महाविद्यालय / अभिभावक आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्राओं द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है वे पुनः आवेदन नहीं करें।


 (अनूप खोंची)
 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
 एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
 उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15) लेखा / आकाशि / मे.छा.स्कू.यो / 2016-17 / 1320-1327 दिनांक 22/9/2016

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण राजस्थान में प्रकाशन कर भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।
- 2 निदेशक दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 3 निदेशक आकाश वाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रस्तुत है।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर को भेजकर कर लेख है कि अपने क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों को सूचित करावे।
- 7 समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
- 8 प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।


 (माधोसिंह चारण)
 मुख्य लेखाधिकारी